भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1685

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946, (शक)

गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को पेंशन लाभ

1685. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

श्री सुधीर गुप्ता:

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के अनुमानित श्रमबल का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के माध्यम से गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को पेंशन लाभ प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मसौदा विनियमन तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मसौदे को कब तक मूर्त रूप दिए जाने की संभावना है; और

(ड.) सरकार द्वारा देश में गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों को प्रदान की जा रहीं/संभावित अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड.): नीति आयोग द्वारा जून 2022 में प्रकाशित "भारत की तेजी से बढ़ती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था" शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुमान के अनुसार, देश में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों की संख्या वर्ष 2020-21 में 7.7 मिलियन थी, जो वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है।

पहली बार, 'गिग कामगारों' और 'प्लेटफॉर्म कामगारों' की परिभाषा और इससे संबंधित उपबंध सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में प्रदान किए गए हैं जिसे संसद द्वारा अधिनियमित किया गया है।

यह संहिता गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निःशक्तता कवरेज, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों के लिए उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय करने का उपबंध करती है। संहिता में कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना का भी प्रावधान है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के गिग कामगारों के योगदान को मान्यता देते हुए, सरकार ने दिनांक 1.2.2025 को की गई अपनी बजट घोषणा में ई-श्रम पोर्टल पर उनके पंजीकरण और पहचान-पत्र की व्यवस्था करने और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) स्वास्थ्य योजना के तहत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

*****